UPKJ010006342026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6489

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–311/2026

फैयाज अहमद पुत्र मकबूल अहमद,
निवासी–मोहल्ला सैयदबाड़ा कस्बा व थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज। ––**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–666/2025
धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट
थाना–छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **फैयाज अहमद** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु **द्वितीय अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है। प्रार्थी ने उपरोक्त तथाकथित घटना कारित नहीं की है। प्रार्थी वादी मुकदमा द्वारा पुरानी रंजिश के कारण झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाकर नामजद कराया गया है। कथित घटना दिनांक 29.11.2025 को प्रार्थी छिबरामऊ में उपस्थित नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के उपचार हेतु फर्रूखाबाद स्थित गायत्री डेंटल अस्पताल गया हुआ था। उक्त अस्पताल में प्रार्थी की उपस्थिति से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी पेन ड्राइव इस जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। वादी द्वारा कथित घटना का समय दिनांक 29–11–2025 सायं लगभग 6:20 बजे बताया गया है, जबकि उसी समय प्रार्थी घटना स्थल से लगभग 40 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद स्थित अस्पताल में मौजूद था, जिससे प्रार्थी की मौके पर उपस्थिति पूर्णतः असंभव है। कथित घटना में वादी मुकदमा के किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सीय चोट नहीं पाई गई है।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.24 17:08:34 IST
Reason: judgment
Location: A.D.J.1,Kannauj.

एक अन्य व्यक्ति सरताज को गोली लगने की बात कही गई है, किंतु उसकी मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की कोई चोट नहीं पाई गई, केवल पैर में फ्रैक्चर दर्शाया गया है, जिससे सम्पूर्ण घटना अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होती है।वादी द्वारा जो कथित सीसीटीवी फुटेज विवेचना में दाखिल किया गया है, उसमें भी प्रार्थी की कहीं कोई उपस्थिति नहीं है, जिसकी पुष्टि विवेचना में भी हो चुकी है। प्रार्थी के भांजे सोहेल की हत्या वादी मुकदमा के भाई इरशाद द्वारा की गई थी, जिसमें इरशाद सहित कुल 7 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जा चुका है। उपरोक्त कारणों से वादी मुकदमा प्रार्थी एवं उसके परिवार से गहरी रंजिश रखता है तथा आए दिन झूंठे मुकदमों में फँसाने की साजिश करता रहता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में आलाधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, जिस पर क्षेत्राधिकारी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी गई कि इरशाद एवं उसके परिजन प्रार्थी व उसके परिवार पर झूंठे मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं। (रिपोर्ट संलग्न है) वर्तमान मुकदमे से पूर्व भी वादी मुकदमा के परिजनों द्वारा कई मुकदमे प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज कराए गए, जिनमें से अधिकांश निरस्त हो चुके हैं। **प्रार्थी अत्यंत गंभीर रोगी है। उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थीं, जिसके कारण उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा चुका है तथा वर्तमान में भी वह निरंतर चिकित्सकीय उपचाराधीन है। उपचार के प्रपत्र संलंग्न है)।** वर्तमान समय में रमजान का पावन महीना चल रहा है। तथा रमजान की नमाज अदा करना प्रार्थी के जीवन का अहम पहलू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की बीमारी व रमजान के पावन महीने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की करें।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर अपराध है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अंसार ने एक तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली छिबरामऊ, जनपद कन्नौज को इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 29.11.2025 को समय करीब 6:20 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर उसके मोहल्ले के फैय्याज, अनस, अनवर, जीसान, फैसल, फैज उसके दरवाजे पर आये और माँ बहिन की भददी भददी गालियां देने लगे और जब वह व उसके घर पर मौजूद उसकी मौसी का लड़का सरताज ने गाली गलौज का विरोध किया तो उपरोक्त लोगो ने अपने हाथ में लिये अवैध तमंचे से फायर कर दिये जिससे वह बाल बाल बच गया एवं सरताज के दायें पैर में गोली लग गई, जिससे सरताज वहीं पर मरणासन्न होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात उपरोक्त लोगों ने कई राउण्ड फायर किये व ईंट पत्थरों से हमला भी कर दिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर काफी लोग आ गए एवं तभी पुलिस भी आ गई। तब उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उपरोक्त लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं एवं आये दिन उसके व उसके

परिवार के साथ मारपीट करते हैं एवं किसी भी दिन उसके व उसके परिवार के साथ अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। उक्त घटित घटना उसके के घर पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा में भी रिकार्ड हुयी है जिसका वीडियो भी मौजूद है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

5. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना छिबरामऊ में अभियुक्तगण फैय्याज, अनस, अनवर, जीसान, फैसल व फैज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–666/2025 अपराध अन्तर्गत **धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।**

6. प्रार्थी/अभियुक्त, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी व उसका मौसी का लड़का सरताज जब घर पर थे को बुरी–बुरी गालियां देते हुये ईट पत्थरों से हमला करने, जान से मारने की नीयत से फायर करने सहित अन्य आरोप लगाये गये है। यह अवश्य है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद है, किन्तु दौरान विवेचना सम्बन्धित विवेचक द्वारा घटनास्थल के बावत सीसीटीवी का उल्लेख सीडी क्रमांक 7 (F), सीडी क्रमांक संख्या–9(F) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि दिनांक 29.11..2025 समय 18.19.01 पर पांच मोटरसाइकिलों पर दस लोग आते दिख रहे है **जीशान सफेद शर्ट, फैसल आसमानी रंगी की शर्ट, अनवर सफेद काली धारीदार गर्म बनियान, असर काली शर्ट, अनस काली शर्ट, फैज सफेद हुडडी, नौमान लाल टीशर्ट, उबैस चकदार शर्ट, अयान चकदार शर्ट व लक्की गर्म बनियान सफेद नीली पहने है।** इसप्रकार संबंधित विवेचक द्वारा उक्त अभियुक्त फैयाज का कहीं उल्लेख सीसीटीवी फुटेज में नहीं किया गया है।

8. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जरिये सूची फैयाज अहमद के भाई अयाज अहमद द्वारा दिनांक 17.12.2025 को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ को दिये गये प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29.11.2025 समय 06.20 बजे सायं मेरा फैयाज अहमद अपनी पत्नी को लेकर गायत्री डेन्टल क्लीनिक जनपद फर्रूखाबाद गया था जहां पर लगे हुये सीसीटीवी फुटेज प्रार्थी के पास मौजूद है। जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों के समर्थन मेडिकल प्रपत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है जिसके प्रथम दृष्टया परिशीलन से यह विदित होता है प्रार्थी/अभियुक्त जरिये इलाज है तथा घटनास्थल पर प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति संदेह की परिधि में है।

9. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम जमानत पर

रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।**

आदेश

अभियुक्त **फैयाज अहमद** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–666/2025, धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 131, 190, 115(2) बी.एन.एस. व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज** के प्रकरण में प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र** स्वीकार किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की दशा में अभियुक्त द्वारा **मु०–दो लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल** करने पर रिहा कर दिया जायेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त आहूत होने पर विवेचक के समक्ष उपस्थित रहेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न तो भयभीत करेगा और न ही धमकाएगा।

4. आवेदक/अभियुक्त विवेचक की अनुमति के बिना भारत देश से बाहर नहीं जाएगा और यदि उसके पास कोई पासपोर्ट है तो वह उसको विवेचक के सुपुर्द कर देगा।

5. आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का किसी भी तरह से दुरूपयोग नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी शर्त के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र है।

दिनांक–17.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
(**J.O.CODE No–UP** 6489)